अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः– 218 / 2013

रसूला देवी –– अपीलार्थी

वनाम

कुलदीप शर्मा एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद रसूला देवी पति–स्व० नंददेव शर्मा साकिन–आलमनगर, टोला–डिम्हाबासा, थाना–आलमनगर, जिला–मधेपुरा, ने वाद सं० 138 / 2012–13, रसुला देवी वनाम् कुलदीप शर्मा एवं 02 अन्य में विज्ञ भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, उदाकिशुनगंज द्वारा दिनांकः– 28.11.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी ने अपील आवेदन में यह कथन किया है कि मौजा–आलमनगर, थाना नं०–072 / 1, अंचल–आलमनगर, जिला–मधेपुरा खाता पु०–432, खेसरा पुराना–1445, रकवा–2 कट्ठा अन्दर नया खाता–857, नया खेसरा–2163, एवं 2166 दावी रकवा–10 धुर, चौहद्दी– उत्तर–जगन मंडल, दक्षिण–सड़क, पुरब–प्रतिवादी, पश्चिम–नीज वादी हैं।

अपीलार्थी का आगे यह कथन है कि रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादी अपीलार्थी के स्व० पति नन्ददेव भार्मा के सहोदर भाई हैं वो उपरोक्त वर्णित भूमि रकवा– 2 कट्ठा अपीलार्थी के स्व० पति नंददेव शर्मा एवं रेस्पोण्डेन्ट सं० 1 से 3 ने एक साथ मिलकर विक्रेता नागेन्द्र प्र० सिंह से रजिस्ट्री दस्तावेज संख्या– 4556, दिनांकः–26.07.1970 के द्वारा खरीदकर उसपर संयुक्त रूपेण दखलकार हुए वो जिसका जमाबंदी भी अपीलार्थी के पति के साथ–साथ रेस्पोण्डेन्ट के नाम 4412 कायम हुआ। वाद खरीदगी के उपरोक्त भूमि का आपस में अपीलार्थी के पति और रेस्पोण्डेन्ट के बीच मौखिक बँटवारा हो गया वो विवादी भूमि के दावी रकवा 10 धुर अपीलार्थी के हिस्से की भूमि पर वा जबरन रेस्पोण्डेन्ट / प्रतिवादीगण फूस का घर उपर खपड़ा चढ़ाकर अपीलार्थी को अपने हिस्से की जमीन से बेदखल कर दिया।

अपीलार्थी का अपील आवेदन में यह भी कथन है कि *इसी प्रकार*

अपीलार्थी के पति की खास खरीदगी भूमि अंदर मौजा–आलमनगर, थाना नं०–72/1, पुराना खाता नं०–432, पुराना खेसरा नं०–1445 रकवा–5 डी० अन्दर नया खाता नं०–831, नया खेसरा नं0 2164 एवं पूराना खाता 432 ,पुराना खेसरा 1445 अन्दर नया खाता 1457, नया खेसरा नं०–2165 रकवा–4 डी० चौहद्दी उत्तर–जगन मंडल, दक्षिण–सड़क, पुरब–निज वादी, पश्चिम–सड़क जिसके विक्रेता राधे याम राम क्रेता अपीलार्थी के स्व० पति नंददेव भार्मा हैं तथा जिसका दस्तावेज सं०–3108, वर्श–1960 है, तथा जिसका हाल खतियान भी अपीलार्थी के पति के नाम खाता दर्ज है उसे वा जबरन कमजोर वो असहाय समझकर रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी अवैध तरीके से दखल कर अपीलार्थी को बेदखल कर दिया जबकि उक्त भूमि अपीलार्थी के पति की खास खरीदगी भूमि है। जिसका जमाबंदी अपीलार्थी के पति के नाम से कायम है वो हाल सर्वे में कागजात वो दखल के अनुरूप अपीलार्थी के पति के नाम खाता दर्ज है जिस खाता इन्द्राज के विरूद्ध आज तक रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी ने कहीं कोई भी आपत्ति दायर नहीं किया।

अपीलार्थी का आगे यह भी कथन है कि उनके दो पुत्र कपिलदेव भार्मा एवं सकलदेव भार्मा है जो कि काफी सात्विक जीवन जीते हैं जिसका नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी के उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर अपीलार्थी को अपने पति से प्राप्त भूमि से बेदखल कर दिया गया है जिसके निदान हेतु अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दाखिल किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के साक्ष्य एवं सबूतों पर विचार किये बिना ही अपीलार्थी के वाद को खारीज कर दिया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि प्रश्नगत् विवादीत भूमि की निम्न न्यायालय द्वारा स्थलीय जॉच नहीं करवाई गई परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि " जमीन का पक्षकारों के बीच विवाद है जिस संबंध में सरपंच ने अपने आदेश में कहा है कि वर्षः 1990–91 से पॉचों भाई प्रश्नगत् भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं सभी भाई का बराबर–बराबर हिस्सा है और तद्नुसार वे दखलकार भी हैं। स्थलीय जॉच में भी पाया गया कि लम्बे समय से पॉचों भाई घर बनाकर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार हैं।" इस संदर्भ में निम्न न्यायालय का उक्त कथन असंगत एवं पक्षपातपूर्ण है।

अपीलार्थी द्वारा आगे यह भी कथन किया गया है कि निम्न न्यायालय ने अपीलार्थी के हक वो दखल के प्रमाण स्वरूप दाखिल कागजात पर कुछ भी विचार नहीं किया गया है और न ही निम्न न्यायालय द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा–5 का अनुपालन नहीं किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया पाया कि इस मामले में निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है, अतएवं निम्नन्यालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है, तथा उभय पक्षों के संबंधित सभी तथ्यों, साक्ष्य, निबंधित दस्तावेज, जमाबंदी तथा स्थलीय जॉच के आधार पर समुचित आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा